न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
नगर पालिका स्थगन प्रा०नं० 97/2004
नगर पालिका नागौर v/s हुक्मीचन्द वगै०
तहसीलदार नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/19	वकुलाय उप०। दिनांक 14/1/19 को स्थानीय अवकाश होने से आज पेश हुई। P.O. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 18/2/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/2/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 25/3/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/3/19	वकुलाय उप०। पत्रावली का इंतजार होकर पत्रावली दिनांक 29/4/19 को पेश हो। S/ कलक्टर, नागौर	
29/4/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक/चुनाव कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 30/5/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/5/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 4/7/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/7/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/8/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
8.8.19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा मुकदमा नम्बर 90बी–17/07 हुक्मीचंद बनाम नगरपालिका नागौर के क्रम में इस प्रकरण की मूल निगरानी पत्रावली संख्या 331/2004 तहसीलदार नागौर बनाम हुक्मीचंद वगैराह में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2007 के सन्दर्भ में चाही जाने पर इस न्यायालय के पत्रांक 1670 दिनांक 18.08.2007 से श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को भिजवाई हुई है और यह स्थगन पत्रावली उक्त मूल पत्रावली संख्या 331/2004 के इन्तजार में इस न्यायालय में विचाराधीन है। स्वायत शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डी.एल.बी./15/5843–6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के अधीन सम्पति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, को प्राधिकृत किये जाने से, इस प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को होने से, मूल पत्रावली श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय को उपर्युक्तानुसार भिजवाई हुई है। अतः यह स्थगन पत्रावली भी श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावें। पत्रावली इस न्यायालय से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner